

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 20, 1973/वी० 30, 1894
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20, 1973/PAUSA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th January 1973

S.O. 38(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) First Amendment Order, 1973.

2. In Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968:—

The existing item No. 7(a) shall be deleted and substituted by the following:—

“7(a) Lamb Fur Skins, raw and pickled”.

3. In Part 'A' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968 after item No. 38, the following item shall be added:—

“39, Raw hides and skins (except lamb fur skins, raw and pickled)—all types”.

[No. E(C)O, 1968/AM(91)]

K. S. NARANG,

Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश : व्यापार मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1973

एस० एम० 38 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा—निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और भागे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) प्रथम संशोधन आदेश 1973 की संज्ञा दी जाए ।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग 'बी' में :—
 - (1) वर्तमान मद संख्या 7 (ए) को हटाया जाएगा तथा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा

“7 (ए) कच्ची तथा अम्ल-मार्जित मेमने की फरवाली खालें ।
3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग 'ए' में मद सं० 38 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी :—
39. सभी प्रकार के कच्चे चमड़े और खालें (मेमने की फरवाली, कच्ची तथा अम्ल-मार्जित खालों की छोड़कर) ।”

[संख्या ई (सी) प्रो, 1968/एएम (91)]

के० एस० नारंग,

मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात ।